उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियनत्रण अनुभाग-1,
संख्या-69/2015/2328/92-1-2015-96(जॉच)/2012,
दिनांक: लखनऊ: 17 जून, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के अन्तर्गत जनपद-कन्नौज के डा0 अम्बेडकर ग्राम निस्तौली एवं मजरा श्यामपुर, जनपद- इटावा के डा0 अम्बेडकर ग्राम-चॉदनपुर एवं जनपद-फर्रूखाबाद के डा0 अम्बेडकर ग्राम- आवाजपुर एवं मजरा नगलानट तथा ग्राम फतेउल्लापुर में निर्मित सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्यों की स्वीकृत समयवृद्धि प्रकरणों के निस्तारण में अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन न करने, शासन को आर्थिक क्षति पहुँचाये जाने आदि अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-188/92-2013-96(जॉच)/2012, दिनांक 16-01-2013 द्वारा श्री जयराम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल -कानपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक जॉच की कार्यवाही संस्थित करते हुए वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जॉच अधिकारी द्वारा नियमानुसार जॉच की कार्यवाही पूर्ण करते हुए जॉच आख्या पत्र संख्या-जी-223/ग्रा0अभि0वि0/बजट/जॉच-परि-कानपुर/2014-15, दिनांक 12-2-2015 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी, जिसमें श्री जयराम के विरूद्ध गठित कुल 04 आरोपों में से आरोप सं0-4 स्थापित पाया गया। अतएव उक्त सिद्ध पाये गये आरोप के आलोक में एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-9(4) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-964/92-1-2015-96(जॉच)/2012, दिनांक 11-3-2015 द्वारा जॉच आख्या की प्रति अपचारी अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनके विरूद्ध स्थापित पाये गये आरोप के संबंध में उनका अभ्यावेदन मॉगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 12-3-2015 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

3- आरोप सं0-4 के अन्तर्गत अपचारी अधिकारी को परिमण्डल-कानपुर जनपद-फर्रूखाबाद में डा0 अम्बेडकर ग्राम आवाजपुर एवं मजरा नगलानट के कार्य हेतु गठित अनुबन्ध संख्या-03/ अधी.अभि./दिनांक 14-06-2011 द्वारा दिनांक 15-09-2011 से 24-09-2011 तक (कुल 10 दिवस मात्र) की समयवृद्धि प्रकरण में अर्थदण्ड के रूप में कार्य की लागत का 10.00% रोके जाने तथा बिना कोई साक्ष्य प्राप्त हुए पुन मनमाने तरीके से समयबृद्धि 0.20% अर्थदण्ड के साथ स्वीकार करते हुए समयवृद्धि के प्रकरणों में पहले अधिक धनराशि का अर्थदण्ड लगाने तथा बिना वैध कारण के अधीक्षण अभियन्ता के पद का दुरूपयोग कर बिना किसी पुष्ट साक्ष्य एवं अभिलेखों के ठेकेदारों से दुरभि संधि कर उन्हें लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से मनमाने ढंग से कम धनराशि का अर्थदण्ड लगाये जाने, उ0प्र0 सरकारी सेवकों के आचारण नियमावली-1956 के नियम-2(ख), एवं (ज) तथा नियम-3 कर्तव्य के प्रति निष्ठावान न होने एवं इसी प्रकार परिमण्डल-कानपुर के अन्तर्गत जनपद-फर्रूखाबाद में डा0 अम्बेडकर ग्राम फतेउल्लापुर के कार्य हेतु गठित अनुबन्ध संख्या-97/ अधी.अभि./दिनांक 04-08-2011 दिनांक 05-11-2011 से 09-12-2011 तक (कुल 35 दिवस मात्र) की समयवृद्धि के प्रकरण में 5.00% अर्थदण्ड लगाते हुए बिना वैध कारण उल्लिखित किये अपनी स्वेच्छाचारितापूर्ण ढंग से बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य/टिप्पणी/अभिलेख प्राप्त किये मात्र सहायक अभियंता/अवर अभियन्ता की संस्तुति पर इस बार उन्हीं पूर्व अभिलेखों के आधार पर मात्र 0.25 प्रतिशत अर्थदण्ड के साथ स्वीकृत किये जाने एवं बिना वैध कारण के अधीक्षण अभियन्ता के पद का दुरूपयोग कर बिना किसी पुष्ट साक्ष्य एवं अभिलेखों के ठेकेदारों से दुरभि संधि कर उन्हें लाभ पहुँचाने के लिए आरोपित किया गया है।

जॉच अधिकारी द्वारा उपरोक्त दोनों प्रकरणों में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभिलेखों का अवलोकन करते हुए अपने निष्कर्ष में यह उल्लेख किया गया है कि प्रथम प्रकरण में पहले कार्य की लागत की 10% रोकी गई एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बिना किसी पुष्ट साक्ष्यों एवं अभिलेखों के समयवृद्धि 0.20% अर्थदण्ड के साथ स्वीकार की गयी। इसी प्रकार दूसरे प्रकरण में पहले 5% अर्थदण्ड के साथ समयवृद्धि प्रदान की गई फिर बिना किसी साक्ष्य एवं अभिलेखों के 0.25% के साथ समयवृद्धि स्वीकृत की गई। इस प्रकार जॉच अधिकारी द्वारा बिना किसी पुष्ट साक्ष्य एवं अभिलेखों के ठेकेदारों के ऊपर एक सप्ताह से अधिक समयवृद्धि के लिये 1.00% से कम अर्थदण्ड लगाया जाना एस0बी0डी0 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप नहीं पाया गया है, क्योंकि एस0बी0डी0 के Contract Data to general conditions of contract के प्रस्तर-20 में व्यवस्था है कि :-

20 (b) Amount of liquidated damages for delay in complection of works.

For whole of work 1 percent of the initial contract price, rounded off to nearest thousand per week.

20 (c) Maximum limit of liquidated damages for delay in complection of works.

10 percent of the initial contract price, rounded off to nearest thousand.

4- उपरोक्तानुसार सिद्ध पाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में कोई भी नवीन तथ्य नहीं प्रस्तुत किये गये हैं, अपितु उनके द्वारा विषयगत प्रकरण में जॉच अधिकारी द्वारा जॉच कार्यवाही के समय अपने बचाव उत्तर में प्रस्तुत कथनों की ही पुनरावृत्ति की गयी है। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच के समय अपचारी अधिकारी के ऊपर गठित आरोपों के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी के बचाव उत्तर तथा अन्य संगत अभिलेखों के आधार पर ही जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी है। वर्णित स्थिति में उक्त सिद्ध पाये गये आरोप के परिप्रेक्ष्य में अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई नवीन तथ्य अथवा विचारणीय बिन्दु प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है।

5- एतदर्थ, बिना किसी पुष्ट साक्ष्य एवं अभिलेखों के ठेकेदारों के ऊपर एक सप्ताह से अधिक की समयवृद्धि के लिए एस0बी0डी0 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुरूप अर्थदण्ड न लगाकर अधीक्षण अभियन्ता के पद में निहित अधिकारों का दुरूपयोग करके मनमाने ढंग से अर्थदण्ड लगाये जाने से संबंधित अपचारी अधिकारी श्री जयराम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर के विरूद्ध आरोप संख्या-4 स्थापित पाते हुए इस अनियमितता के लिए उन्हें निम्नवत् दण्ड प्रदान करते हुए उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-188/92-2013-96(जॉच)/2012, दिनांक 16-01-2013 द्वारा प्रचलित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

"श्री जयराम, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर को उपर्युक्त अनियमितता के लिए **'परिनिन्दित'** किया जाता है।"

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डा0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-69/2015/2328(1)/92-1-2015, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री जयराम, अधीक्षण अभियंता (सम्प्रति निलम्बित), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (संबद्ध कार्यालय मुख्य अभियन्ता (पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ) द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिशिर कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।